मंजप्पा

बनाम

कर्नाटक राज्य

18 मई, 2007

सी. के. ठाकर और अल्टमास कबीर, जे. जे.,

गंभीर चोट पहुँचाने के लिए अभियोजन-निचली अदालतों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष और दोषसिद्धि-1 साल के कारावास की प्रारंभिक सजा को घटाकर 1 1/2 महीने कर दिया गया-घायलों को मुआवजे का आदेश-अभियुक्त 15 दिनों का कारावास भुगत चुका-अभियुक्त को परिवीक्षा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की याचिका में अपील-निर्णितः दोषसिद्धि न्यायोचित है-परिवीक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि चोटें जानबूझकर लगी थी-हालाँकि, लंबे समय के अंतराल को देखते हुए, कारावास की सजा पहले से ही भुगती हुई कर दी गई। 10,000/-रू का अतिरिक्त मुआवजा दिया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 360, 361 और 357 (1) (बी)।

अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 323, 325 और 504 के तहत आरोप तय किए गए थे। निचली अदालत ने धारा 504 के तहत उसे बरी करते हुए और धारा 323 और 325 के तहत उसे दोषी ठहराते हुए उसे धारा 323 के तहत अपराध के लिए 3 महीने के कारावास और 500/-रू जुर्माना, धारा 325 के तहत अपराध के लिए एक साल का

कारावास और 3,000/-रू जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से पीड़ित को 2,000/- के मुआवजे का आदेश दिया।

अपीलीय अदालत ने आरोपी को धारा 323 के तहत बरी कर दिया और उसे धारा 325 के तहत दोषी ठहराया, उसे 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई और 3,000/- रू का अतिरिक्त पीड़ित को दिलवाया।

उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में धारा 325 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन कारावास को घटाकर 1 1/2 महीने कर दिया। इसने 1,000/-रू का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। इसलिए वर्तमान अपील।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारित किया:- 1. उच्च न्यायालय ने मूल सजा को घटाकर डेढ़ महीने कर दिया है। यह भी विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने सजा भुगती है तथा लगभग पंद्रह दिनों तक हिरासत में रहा है। इसके अलावा, आज तक वह जमानत पर है। इसलिए, भले ही न्यायालय का विचार है कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, धारा 360 सपठित धारा 361 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं और इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, अपीलार्थी को आत्मसमर्पण करने और लगभग एक महीने के लिए शेष सजा भुगतने का निर्देश देना अब उचित नहीं होगा। यह घटना 1997 की है और लगभग 10 साल बीत चुके हैं। ख् पैरा 14, ख्279-ई, एफ. आई.

ओम प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, ख्2001, 10 एससीसी 477, प्रतिष्ठित।

2. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्याय का उद्देश्य पूर्ण होगा यदि यह आदेश दिया जाता है कि मूल सजा जो अपीलार्थी पहले ही भुगत चुका है, पर्याप्त मानी जाए। यह उचित होगा यदि अपीलार्थी ने जुर्माने के रूप में और घायल पीड़ित को मुआवजे के रूप में जिस राशि का भुगतान किया है, उसके अतिरिक्त अपीलार्थी को मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता को 10,000/-रू की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। (पैरा 15)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 766/2007

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंग्लोर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.07.2006 आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1188/2003 से

वी. एन. रघुपति, रंजीत थॉमस, जे. पी. त्रिपाठी और रंजय कुमार रंजीत अपीलार्थी की ओर से।

संजय आर. हेगड़े प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय

सी. के. ठाकर, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंग्लोर के आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1188/2003 में दिनांक 20 जुलाई, 2006 को पारित निर्णय एवं आदेष के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

3. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 19 जुलाई, 1997 अपराह्न लगभग 3.15 बजे, अपीलार्थी-अभियुक्त ने मरदेश्वर के ओलागा मंटपा के सामने स्वेच्छा से शिकायतकर्ता-मंजू रामय्या शेट्टी को मामूली चोट पहुँचाई थी। यह भी कथित है कि उसने शिकायतकर्ता पर पत्थर से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा, अपीलार्थी-अभियुक्त ने जानबूझकर शिकायतकर्ता को गंदी भाषा में गाली देकर उसका अपमान किया, जिससे उसे यह अच्छी तरह से जानते हुए उकसाया गया कि ऐसा उकसावा शिकायतकर्ता को सार्वजनिक शांति भंग करने या अन्य अपराध करने के लिए मजबूर कर देगा। 20 जुलाई, 1997 को एक शिकायत दर्ज की गई और सामान्य अनुसंधान के पष्चात्, अभियुक्त के खिलाफ 13 नवंबर, 1998 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भटकल द्वारा धारा 325, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए आपराधिक मामला संख्या 2488/1997 में आरोप विरचित किये गये।

अभियुक्त ने आरोप के लिए 'दोषी नहीं होने का अभिवाक किया।

4. अभियोजन पक्ष ने मामले के समर्थन में आठ गवाहों से पूछताछ की, जिनमें पीड़ित शिकायतकर्ता मंजू रामय्या शेट्टी भी शामिल हैं। ट्रायल कोर्ट, इसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का विवेचन करते हुए, अपने निर्णय द्वारा, दिनांक 08 मार्च, 1999 में निर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा पीड़ित को सामान्य तथा गंभीर उपहति कारित करना अभियोजन द्वारा साबित कर दिया गया है और एतद्द्वारा अभियुक्त ने धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध कारित किया है।

हालाँकि, आरोप है कि अभियुक्त ने दंडनीय अपराध किया है। हालांकि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है तथा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है। जहां तक सजा का प्रष्न है, विचारण न्यायालय ने धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में तीन माह का साधारण कारावास और 500/-रू का जुर्माना अधिरोपित किया तथा व्यतीक्रम में 15 दिवस का साधारण कारावास भी भुगतने का आदेष दिये गये है। धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्त को एक साल का साधारण कारावास तथा तीन हजार रूपये, व्यतीक्रम में तीन माह का साधारण कारावास भुगतने के आदेष दिये गये। न्यायालय ने यह भी आदेष दिया कि प्राप्त जुर्माना में से पीड़ित को 2,000/-रू, धारा 357 (1)(बी) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत मुआवजा के रूप में अदा किये जाए।

5. पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने सत्र न्यायाधीश न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, कारवार में आपराधिक अपील संख्या 19/1999 प्रस्तुत की। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य पर विचार करने और दलीलें सुनने के बाद अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया और दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया। हालाँकि, उन्होंने आई. पी. सी. की धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के आदेश की पुष्टि की। अपीलीय न्यायालय का विचार था कि साधारण कारावास की सजा को एक वर्ष से घटाकर छह महीने करना एक उपयुक्त मामला है। अपीलीय अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता को, जिसे गंभीर चोटें लगी थी, निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया था, उसके अलावा 3000/-रू मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। निचली अदालत द्वारा पारित जुर्माने और मुआवजे की सजा की पुष्टि की गई।

6. अपीलार्थी ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को भी उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करके चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण को भी आंषिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को एक माह का साधारण कारावास भुगतने और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेष के अलावा 1,000/-रू का अतिरिक्त जुर्माना आदेषित किया। अपीलार्थी उच्च न्यायालय के उक्त आदेष के विरूद्ध इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है।

7. 23 नवंबर, 2006 को यह मामला एक चैम्बर जज के समक्ष रखा गया था, क्योंकि समर्पण से छूट मांगी गई थी। विद्वान चैम्बर न्यायाधीश द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया था कि दी गई सजा डेढ़ महीने की साधारण कारावास थी और यह माना गया था कि आरोपी पंद्रह दिनों से हिरासत में था। इसके बाद नोटिस जारी किया गया और अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

9. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि हालांकि सभी अदालतों ने एक समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया था कि अपीलार्थी ने आई. पी. सी. की धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध किया है और शिकायतकर्ता को गंभीर चोट पहुंचाई है, वे संहिता की धारा 360 के प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहे जो कुछ मामलों में एक अपराधी को परिवीक्षा देने का प्रावधान करता है। उक्त धारा न्यायालय को उस व्यक्ति जिसे कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है को अच्छे आचरण और व्यवहार के परिवीक्षा पर रिहा करने में सक्षम बनाती है। धारा 361 जहां वह संहिता की धारा 360 का लाभ नहीं देता है। न्यायालय से विशेष कारणों को दर्ज करने की अपेक्षा करती है

10. उक्त खंड इस प्रकार है।

361. कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना - जहां किसी मामले में न्यायालय -

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही धारा 360 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 व 20) के उपबंधों के अधीन कर सकता था, या

(ख) किसी किषोर अपराधी के संबंध में कार्यवाही, बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) के अधीन या किषोर अपराधियों के उपचार, प्रषिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है वहां वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा।

11. वकील ने ओम प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2001(10 एससीसी 470) प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि सभी आदेष निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलांट को जो यद्यपि 21 साल से अधिक आयु का है, किन्तु प्रथम अपराध है, को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश का समर्थन किया। उन्होंने निवेदन किया कि तीनों अदालतों ने समवर्ती रूप से पाया है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को गंभीर चोट पहुंचाई थी और दोषसिद्धि का आदेश दिया था और सजा सुनाई थी, जिसमें

कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को सात चोटें आई हैं और उसके दो दांत टूट गए हैं। यह निवेदन किया गया था कि जब उच्च न्यायालय ने सजा को छह महीने से घटाकर डेढ़ महीने कर दिया है, तो इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा में और कमी नहीं की जा सकती है।

13. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी राय में, अपीलार्थी के विद्वान वकील का यह निवेदन कि मामला ओम प्रकाश द्वारा कवर है, का कोई आधार नहीं है। ओम प्रकाश में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पूरी घटना एक दुर्घटना का परिणाम थी जिसमें शिकायतकर्ता की पत्नी को एक आरोपी द्वारा चलाए जा रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी, इसलिए, यह स्पष्ट था कि ओम प्रकाश में, अपराध के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक 'मेन्स रिया अनुपस्थित था। हस्तगत मामले में, अपीलार्थी-अभियुक्त ने जानबूझकर शिकायतकर्ता को गंभीर चोट पहुंचाई और इसलिए ओम प्रकाश के पास कोई आवेदन नहीं है।

14. इसके साथ ही, हालांकि, तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय ने मूलभूत सजा को एक माह और पंद्रह दिन तक घटा दिया है। यह भी विवादित नहीं है कि अभियुक्त ने पन्द्रह दिन की सजा भुगत ली है, इसके अतिरिक्त आज वह जमानत पर है। इसलिए, भले ही हमारा विचार है कि

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 सपठित धारा 361 को आकर्षित नहीं होती है और ओम प्रकाश अपीलार्थी की मदद नहीं करता है, अब यह उचित नहीं होगा कि अपीलार्थी को आत्मसमर्पण करने और लगभग एक महीने के लिए शेष सजा भुगतने का निर्देश दें। यह घटना 1997 की है और लगभग 15 साल बीत चुके हैं।

15. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में न्याय के उद्देष्य की पूर्ति हो जाएगी। यदि हम आदेश देते हैं कि मूल सजा जो अपीलार्थी पहले ही भुगत चुका है, पर्याप्त है। हमारा यह भी विचार है कि यह उचित होगा यदि उस राशि से अधिक जो अपीलार्थी ने जुर्माने के लिए और घायल को मुआवजे के लिए भी दी है अपीलार्थी को 10,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

16. उपरोक्त कारणों से, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है कि अपीलार्थी द्वारा पहले से दी गई सजा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पर्याप्त मानी गई है। हालाँकि, यह आदेश दिया जाता है कि घायल शिकायतकर्ता को अपीलार्थी जुर्माना और मुआवजे की राशि के अलावा 10,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान आज से एक महीने की अवधि के भीतर करेगा।

17. तद्नुसार आदेश दिया। आंशिक रूप से अनुमत अपील।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सत्य प्रकाश सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।